



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2009/आश्विन 30, 1931

No. 614]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2009/ASVINA 30, 1931

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2009

सा.का.नि. 774(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ड. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2009 ।
- (2) इसे 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
2. कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है के पैरा 4 के उप-पैरा (2ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2ग) जहां किसी सदस्य, जिसने प्ररूप पीएस-2 के स्थान पर पीएस-1 में या विपर्ययन और/या जहां किसी सदस्य ने पीएस-3 और या पीएस-4 में अपना विकल्प भरा है वहां यह अवधारणा की जाएगी कि सदस्य कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 में सम्मिलित होने का आशय रखता है और पेंशन स्कीम के लिए उसकी सदस्यता ऐसे मामलों में पुष्ट समझी जाएगी ।”

[सं. 20/25/2007-पीआरआईडब्ल्यू-III]

एस. पी. सेठ, विशेष सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम में भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से जोड़ने, संशोधन करने या परिवर्तन करने के लिए सशक्त करती है ।

2. कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998, 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई थी । जहां किसी सदस्य ने प्ररूप पीएस-3/प्ररूप पीएस-4 भरा है लेकिन यथास्थिति प्ररूप पीएस-1/प्ररूप पीएस-2 नहीं भर सका था किसी एक कारण या दूसरे कारण के लिए पेंशन स्कीम के लिए उसकी सदस्यता अस्वीकृत कर दी गई थी । प्ररूप पीएस-1/प्ररूप पीएस-2/में विकल्प देने की तारीख की समाप्ति पर ऐसे तकनीकी आधार पर पेंशन सदस्यता की अस्वीकृति को अच्छा नहीं समझा जाएगा और इसीलिए संशोधन अपेक्षित है । न्यासी बोर्ड, कोयला खान भविष्य निधि ने अपनी 30-11-2007 को हुई अपनी बैठक में स्कीम की उपयुक्तता के संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था ।

3. संशोधन को सभी कर्मचारियों के लिए और हितकारी तथा साम्यपूर्ण बनाने के क्रम में 31 मार्च, 1998 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है।
4. भूतलक्षी प्रभाव सहित से उक्त स्कीम के संशोधन किसी कर्मचारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

पाद टिप्पण : कोयला खान पेंशन स्कीम 1988 सा.का.नि. 123(अ), तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित संख्याओं द्वारा पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए थे, अर्थात् :-

1. सा.का.नि. 268(अ), तारीख 25 मार्च, 1998
2. सा.का.नि. 218(अ), तारीख 22 मार्च, 1999
3. सा.का.नि. 689(अ), तारीख 29 अगस्त, 2000
4. सा.का.नि. 256(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2001
5. सा.का.नि. 861(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2001
6. सा.का.नि. 16(अ), तारीख 9 जनवरी, 2002
7. सा.का.नि. 482(अ), तारीख 8 जुलाई, 2002
8. सा.का.नि. 107(अ), तारीख 13 फरवरी, 2003
9. सा.का.नि. 108(अ), तारीख 13 फरवरी 2003
10. सा.का.नि. 521(अ), तारीख 12 अगस्त, 2004
11. सा.का.नि. 154(अ), तारीख 5 मार्च, 2009
12. सा.का.नि. 348(अ), तारीख 22 मई, 2009।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2009

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3E of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Pension Scheme, 1998, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Coal Mines Pension (Amendment) Scheme, 2009.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of March, 1998.
2. In the Coal Mines Pension Scheme, 1998 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 4, after subparagraphs (2B), the following shall be inserted, namely :

“(2C) Where a member had exercised his option in Form PS-1 in place of Form PS-2 or vice versa and/or where the member has filled up Form PS-3 and/or PS-4, it shall be presumed that the member had the intention to join the Coal Mines Pension Scheme, 1998 and his membership to the Pension Scheme shall be considered confirmed in such cases.”

[No. 20/25/2007-PRIW-III]

S. P. SETH, Spl. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) empowers the Central Government to add, to amend or vary a Scheme framed under the Act either prospectively or retrospectively.
2. The Coal Mines Pension Scheme, 1998 came into force with effect from the 31st day of March, 1998. Where a member had filled up Form PS-3/ PS-4 but could not fill up Form PS-1 /PS-2, as the case may be, for one reason or another his membership to the Pension Scheme was denied. Since the date of exercising option in Form PS-1/PS-2 was over, denial

of Pension membership on such a technical ground did not augur well and therefore required amendment. The Board of Trustees, Coal Mines Provident Fund in its 148th meeting held on 30th November, 2007 approved the proposal to amend the Scheme suitably.

3. The amendment is given retrospective effect from 31st March, 1998 in order to make it more beneficial and equitable to all employees.

4. The amendment to the said Scheme with retrospective effect will not adversely affect the interest of any employee.

Footnote : The Coal Mines Pension Scheme, 1998 was published *vide* G.S.R. 123 (E), dated the 5th March, 1998 and subsequently amended *vide* notification number :—

1. G.S.R. 268(E), dated 25th May, 1998
2. G.S.R. 218(E), dated 22nd March, 1999
3. G.S.R. 689 (E), dated 29th August, 2000
4. G.S.R. 256 (E), dated 12th April, 2001
5. G.S.R. 861(E), dated 23rd November, 2001
6. G.S.R. 16(E), dated 9th January, 2002
7. G.S.R. 482(E), dated 8th July, 2002
8. G.S.R. 107(E), dated 13th February, 2003
9. G.S.R. 108(E), dated 13th February, 2003
10. G.S.R. 521(E), dated 12th August, 2004
11. G.S.R. 154(E), dated 5th March, 2009
12. G.S.R. 348(E), dated 22nd May, 2009.